





27.3.2017

आवेदकगण की ओर से श्री  
के.के.० द्विवेदी (अभिभावक उपास्थित)  
शाहगढ़ एवं खगन पर सुना गया।  
अनुविभागीय अधिकारी के आदेश  
दिनांक 14.3.2017 का अवलोकन

से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी  
द्वारा प्रकाश के विरुद्ध लक खगन  
दिया गया है, जबकि म० प्र० मू  
राजसूख लाली 1959 में दुबे संशोधन  
के फलस्वरूप एक कार्य तीन माह  
से अधिक खगन नहीं दिया जा  
सकता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी  
द्वारा प्रावधानों के विपरीत खगन  
दिया गया है। अतः अनुविभागीय  
अधिकारी को निर्देशित किया  
जाता है कि तीन माह में  
प्रावधानों के अनुरूप प्रकाश का  
विरुद्ध करे।



  
अध्यक्ष